निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 18/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. बद्री पुत्र छोटा मीणा निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रियवृत चारण आर ए एस उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर ।
2. रामचन्द्र पुत्र बरधी चन्द्र निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
3. रामकुवार पुत्र बिरदी चन्द निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. गंगादेवी पुत्री बिरदी चन्द निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. सोनी देवी बेवा बिरदी चन्द निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. छीतर पुत्र प्रभात निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. अंकित पुत्र पूरण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. लवेश पुत्र पूरण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. पिंकी पुत्री पूरण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. मोहित पुत्र पूरण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. प्रिया पुत्री पूरण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. लाली बेवा पूणा निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. राजकुमार पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. पांची बेवा लक्ष्मण निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. मूलचन्द उर्फ रामफूल पुत्र गुल्लाराम दत्तक पुत्र गोपी निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर।
17. गौरी लाल पुत्र गुल्लाराम निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. भोरी देवी बेवा गुल्ला निवासी ग्राम खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
19. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।
20. उप पंजीयक आमेर, जिला जयपुर।
21. भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमेर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
22. भारतीय स्टेट बैंक खाखा कूकस, जरिये शाखा प्रबन्धक।
23. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कूकस, जरिये शाखा प्रबन्धक।
24. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा कूकस, जरिये शाखा प्रबन्धक।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 47/2019 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019 व उनवानी बद्री बनाम रामचन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 12, 14, व 17 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 47/2019 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019 ब उनवानी बद्री बनाम रामचन्द्र व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 12, 14, व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थी अधिवक्ता ने स्पष्ट तौर पर अपनी जुबानी बहस में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने से पूर्व निवेदन किया था कि वाद पत्र में वर्णितानुसार सह काश्तकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउड्स सरस–नरस में विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी की निहित हिस्से को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक से तकमील किया जावे। इतना ही नहीं प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया था कि जब तक अवमानना प्रार्थना पत्र में जबाब पेश होकर निस्तारण नहीं हो जाता तक तक प्रारम्भिक डिक्री कब्जे के आधार पर जारी नही की जावे। क्योकि अप्रार्थीगण ने दौराने वाद निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना करते हुए अपने हिस्से से अधिक भूमि जो कि मुख्य सडक से लगती हुई थी, पर अवैद्य निर्माण कर पुख्ता बाउण्ड्री बाल बना कर लठ्ठ की ताकत पर कब्जा कर लिया है । जिसकी फौजदारी व अवमानना की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की हुई है। मातहत अदालत निष्पक्ष प्रकिया नहीं अपना रही है । प्रार्थी की पत्रावली दिनांक 06.12.021 को प्रशासन गावों के संग राजस्व अभियान कैम्प खोरा मीणा में प्रस्तुत हई थी, उस समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। प्रार्थी ने भूमि का विभाजन सरस–नरस में करने का निवेदन किया । साथ ही यह भी निवेदन किया कि मौके पर चल कर वास्तविक स्थिति देखले कि अप्रार्थीगण ने स्टे आदेश के बावजूद भी नवीन निर्माण कर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जो कि मुख्य सडक मार्ग से लगती है, पर कर लिया है। ऐसी स्थिति में यदि कब्जे के आधार पर बंटवारा किया जाता है तो प्रार्थी के साथ गम्भीर अन्याय होगा लेकिन पीठासीन अधिकारी जी ने ना तो मौका देखा ना ही दावा दायरी के रोज जो स्थिति थी उसके अनुसार सरस नरस में बंटवारा करने की बात ही सुनी। प्रार्थी को उल्टा यह कहा कि जैसा अप्रार्थीगण कह रहे है वैसी बात मान कर बंटवारा करवा लो नहीं तो कोर्ट में भी फैसला इनके पक्ष में ही करूंगा। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थीगण की बात कैम्प कोर्ट खोरा मीणा में नही मानी इससे पीठासीन अधिकरी जी प्राथी से नाराज हो गये और

जिला कलक्टर
जयपुर

अप्रार्थीगण ने भी उस समय प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से हम हमारी इच्छा के अनुसार रटे के दौरान कब्जा की हुई भूमि के आधार पर फैसला करवायेगें, तुम्हे जो करना है वह कर लेना मौके पर हम जहां भी कब्जा करना चाहते है, हमें कोई नही रोक सकता। पहले भी तुमने रोकने का प्रयास किया था, जिसका अन्जाम भुगत रहे हो। दिनांक 16.12.2021 को पत्रावली पेश होते ही पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के निवेदन को नहीं सुन कर अवमानना की कार्यवाही निस्तारण किये बगैर प्रार्थीगण से मिल कर कब्जे के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। पीठासीन अधिकारी टी.आई. आदेश को खारिज करना चाहते है, क्योंकि वे अप्रार्थीगण को लाभान्वित करने के लिए मौके पर और निर्माण कार्य करवाना चाहते है। जबकि प्रार्थी व उसके परिवार को अप्रार्थीगण ने लडाई झगडा कर घर से बेघर कर रखा है। जिसके विरूद्व मातहत अदालत, पुलिस आयुक्त एवं श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थी ने शिकायतें पेश की है, लेकिन आज तक प्रार्थी व उसके परिवार को घर पर नही जाने दिया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने मौके पर गुण्डाराज व जंगलराज बना रखा है। पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर प्रकरण को अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाते हुए निपटाने को आतुर है। यदि प्रकरण का अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण नहीं किया गया, तो प्रार्थी के साथ गम्भीर अन्याय हो जायेगा। पीठासीन अधिकारी छोटी-छोटी तारीखें देकर लॉक डाउन व कोराना महामारी के कारण कार्य स्थगित किये जाने के बावजूद भी बहस सुनने का दबाव बना रहे है। प्रार्थी बहस सुनाने को तैयार है, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने से किया जाना आवश्यक है। उक्त घटना क्रम से प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए प्रार्थी को मातहत अदालत से न्याय की आशा नही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण भूमि के विभाजन का है। जिसमें उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत सुनवाई की जाकर वाद को दिनांक 16.12.2021 को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाबत प्रारम्भिक डिक्री कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया है। प्रकरण में न्यायिक प्रकिया अपनाते हुये कार्यवाही की गई है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष पक्षकारान के मध्य खातेदारी भूमि के विभाजन का दावा विचाराधीन है। जिसमें प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा चुकी है। मूल पत्रावली तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट की तलबी में निगत है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, रामेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय

जिला कलक्टर
जयपुर

पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर